स्वतंत्र, पूर्व सूचित सहमति (एफपीआईसी)

एक संक्षिप्त नियमावली

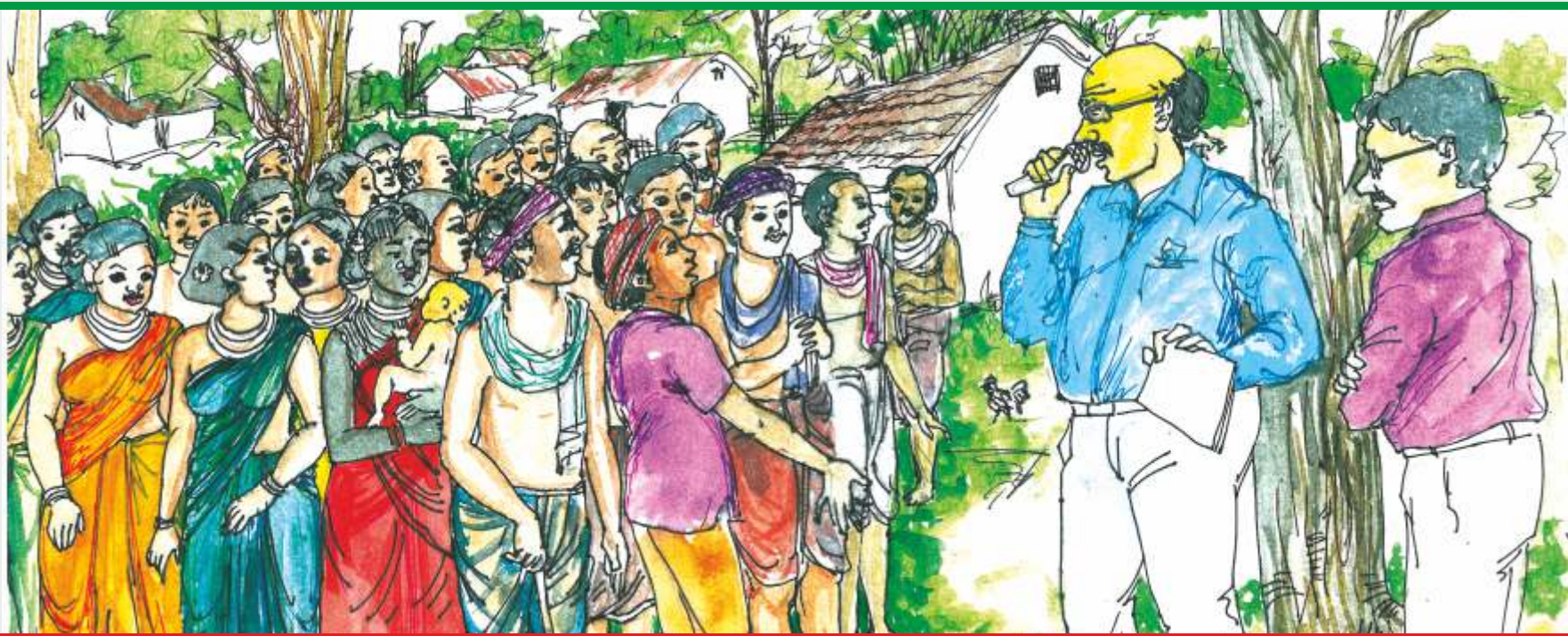

आदिवासी जनजाती अधिकार मंच
आ ज म

actionaid

सर्वाधिकार सुरक्षित हैं | इस आलेख की मूल स्रोत को अभिस्वीकृति देते हुए मुक्त रूप से पूर्ण या आंशिक इस का समीक्षा, उद्धरण, पुनः सम्पादन या भाषान्तरण किआ जा सकता है | इस रिपोर्ट मैं किया गया नीती की समीक्षा या सुझाव किसी भी तरह से आक्सनएड इंडिया के मत को उपस्थापित नहीं करता |

सत्वाधिकार © आक्सनऐड २०१७
रिपोर्ट प्रकाशित २०१८

प्रकाशक
नेचुराल रिसोर्सेस नालेज एक्टिविस्ट हव- आक्सनएड इंडिया की एक जानकारी पहल
३३१- ए शहीद नगर , भुबनेश्वर-७५१००७
दूरभाष- ०६७४२५४८२२४/२५४८५०३

रूपांकन- नेचुराल रिसोर्सेस नालेज एक्टिविस्ट हव- आक्सनएड
मुद्रण- बाबा प्रिण्टर्स, भुबनेश्वर
आवरण और चित्रण – रजत कुमार धल

स्वतंत्र, पूर्व सूचित सहमति (एफपीआईसी)

एक संक्षिप्त नियमावली

अभिस्वीकृति

भूमंडलीकरण के चलते प्राकृतिक संसाधन के ऊपर बढती मांग और दोहन आदिवासी समुदायों के पारंपरिक संपदा और निवास स्थान को खतरे मैं डाला है। उनके संसाधन को लूटने के प्रयास मैं उनके वास वसति और जैवबिविधता का विनाश करके उनको देशांतर और स्थानांतर किया गया है। दुर्भाग्यवस ऐसी परिस्थिति हिंसा, तनाव और संघर्ष का कारण बनी।

२०११ के जन गणना के अनुसार भारत मैं १०४ मिलियन आदिवासी समुदाय के लोग हैं जो की देश के कुल आवादी के ८.६ प्रतिशत है। खनन और औद्योगीकरण के कारण उन्होंने अनेक प्रकार के शोषण को झेला है और अपने पारंपरिक क्षेत्र से खदेड़े गए हैं। आदिवासी समुदाय हर जगह अपने जमीन, जंगल और प्राकृतिक संसाधन के सुरक्षा के जद्दोजहद मैं लगे हैं। आदिवासियों के अधिकार के सुरक्षा के लिए पेसा और वन अधिकार अधिनियम जैसे कई प्रगतिशील कानून बने हैं लेकिन सही तरह से उनकी क्रियान्वयन हुई नहीं है।

इस सन्दर्भ मैं आदिवासियों के अधिकार के सुरक्षा के लिए आन्तर्जातीय नीतियों का अबधारणा करने की जरूरत है। जहाँ कहीं आदिवासियों के प्राकृतिक संसाधन के ऊपर उनकी पारम्परिक अधिकार प्रभाबित होता है वहां आई. एल. ओ सम्मलेन १६९ और संयुक्त राष्ट्र का आदिवासीयों के अधिकार घोषणापत्र (यु. एन.डी.आर.आई.पि) २००७ पुरजोर से स्वतंत्र, पूर्वसूचित सहमती (एफपिआईसी) प्रक्रिया के उपयोग से सहमति लेने की आवश्यकता पर वल दिया है। तभी से स्वतंत्र, पूर्वसूचित सहमती (एफपिआईसी) प्रक्रिया, आदिवासियों के प्राकृतिक संसाधन और जमीन पर होनेवाले प्रभाबों एबं उनके पारंपरिक वसति के सुरक्षा के दिशा मैं एक मौलिक प्रक्रिया के रूप मैं उभरी है।

एफ.ए.ओ, एक्सनऐड और सहभागी संस्थाओं ने मिलकर स्वतंत्र, पूर्वसूचित सहमती (एफपिआईसी) प्रक्रिया को अपने अपने संस्थाओं मैं सम्मिलित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। पहले नतीजे के तहत एफपिआईसी प्रक्रिया के कार्यान्वयन और आदिवासी समुदायों के अधिकार के सुरक्षा और सम्मान के लिए एक गाइड प्रस्तुत किया गया है। किसी एक परियोजना के आरम्भ से मूल्यांकन होने तक आदिवासी समुदायों के अधिकारों को सम्मान करने की आवश्यक है।

एफपिआईसी प्रक्रिया गाइड के एक संक्षिप्त सारांश एक्सनऐड इंडिया द्वारा अपने क्षेत्र के विधि व्यवस्था को नजर मैं रखते हुए प्रस्तुत किया गया है। आदिवासी समुदायों को लाभ पहुँचाने के मकसद से इस संक्षिप्त सारांश का अन्य आंचलिक भाषाओं मैं अनुवाद किया गया है। यह पुस्तिका क्षेत्र मैं काम करने वाले लोगों तथा प्रभावित लोगों के पास इस प्रक्रिया को पहुँचाने का एक प्रयास है। आदिवासी जनजाति अधिकार मंच (आजम) जो की भारत के बिभिन्न राज्यों मैं आदिवासियों के साथ काम करती है, इस प्रक्रिया को समझ के उनके अधिकार को सुनिश्चित करने मैं सहायता किया है। इस मौके का लाभ उठाते हुए हम इस प्रक्रिया मैं सहयोग करने वाले साथियों का धन्यवाद करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एबं कृषि संस्थान के आदिवासी समुदायों के साथ काम करने वाले साथियों को हम इस सारांश पुस्तिका के परिकल्पना और सम्पादन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम इस आलेख की भाषान्तरण मैं सहयोग के लिए, नरेन्द्र शर्मा (हिंदी), विनायक पावर (मराठी), नंदिनी (कन्नड़), रेणुका कष्टा (गुजराती), प्रियब्रत, बिरेन और रतिकांत (ओडिया), जलंधर माझी (कुई), डॉ बेलाराम घोगरा (बगाड़ी), सौरभ और शरद कुमारी (मुंडारी- मीनाक्षी मुन्डा और सांथाली- शिशिर टुडू) को तह दिल से धन्यवाद देते हैं।

हम एक्सनऐड इंडिया के कार्यकारी अधिकारी श्री संदीप चाचरा जी को उनकी निरंतर सहायता और प्रोच्छाहन के लिए विशेष आभार प्रकट करते हैं।

ब्रतिंदी जेना
मुक्ष, एन. आर. के. ए. हब
एक्सनऐड इंडिया

स्वतंत्र, पूर्व सूचित सहमति (एफपीआईसी)
प्रमुख बिंदु या बातें

पृष्ठभूमि

विगत के कुछ सालों में हम सभी इस बात के साक्षी है कि आदिवासी क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों की बेतहाशा लूट हुई है, आदिवासियों ने इसका विरोध भी किया है, इस विरोध का एक कारण ये भी रहा है की देश की सरकारों ने अन्तराष्ट्रीय श्रम संस्था (आइएलओ)सम्मलेन १६९ और आदिवासियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र (यूएनडीआरआईपी) के प्रावधानों को अभी तक पूर्णत: लागू नही किया है जिससे तथाकथित विकास के नाम पर तैयार की गयी परियोजनाओ के क्रियान्वयन करने से पहले, उनके संसाधनों पर पड़ने वाले असर को नही जाना गया, उनकी स्वतंत्र सहमती भी प्राप्त नहीं की गयी है, इससे उनकी जिंदगी और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्रस्तुत पूर्व सूचित स्वतंत्र सहमति (एफपीआईसी) दस्तावेज इस बात का पुरविरोध करता है की आदिवासियों के पैत्रक क्षेत्र पर कोई भी बाहरी व्यक्ति या उधोग कब्ज़ा करे और उनके अमूल्य संसाधनों का उनकी बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का स्वार्थिक उपयोग या दुरूपयोग करे।

सामुदायिक परामर्श से अधिकारों को सुनिश्चित करना

एफपीआईसी क्या है?

स्वतंत्र, पूर्व सूचित सहमति (एफपीआईसी) दुनिया भर में स्थानीय लोगों से संबंधित एक विशिष्ट अधिकार है। एफपीआईसी एक अंतःराष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंड प्रक्रिया के रूप में उभरा है जो स्वदेशी लोगों के स्वयं सामूहिक अधिकारों द्वारा निर्धारित और उनके प्राकृतिक संसाधनों और क्षेत्रों से लिया गया है।

एफपीआईसी आदिवासियों को किसी भी परियोजना की शुरूआत से पहले सहमति देने या त्यागने के लिए अनुमति देता हैं जिससे वे प्रभावित हो सकते हैं, एक बार दी गई सहमति को भी, यह किसी भी स्तर पर वापस ले सकते है, जिससे आदिवासियों को उन शर्तों पर बातचीत करने का मौका मिल सकता है, जिसके तहत बिना किसी व्यवधान के परियोजनाओ की योजना (डिजाइन) , कार्यान्वित, संचालन (मॉनिटर) और मूल्यांकन किया जाएगा। आदिवासियों किसी भी बातचीत/परामर्श में यदि भाग न लेना चाहे तो इस निर्णय का भी सम्मान किया जायेगा।

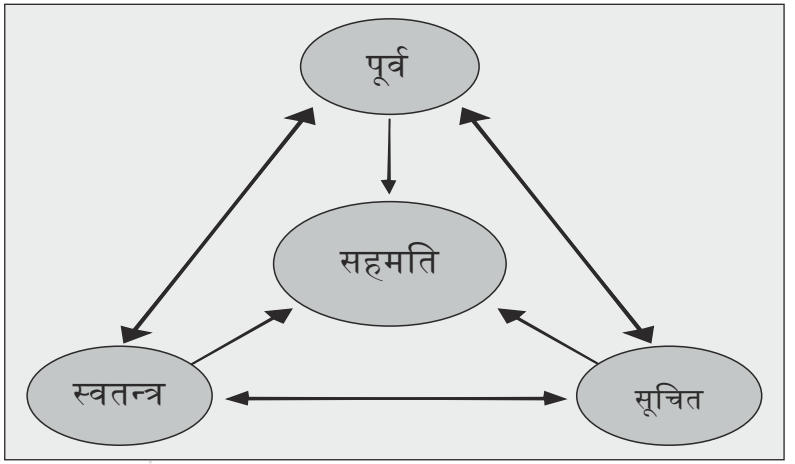

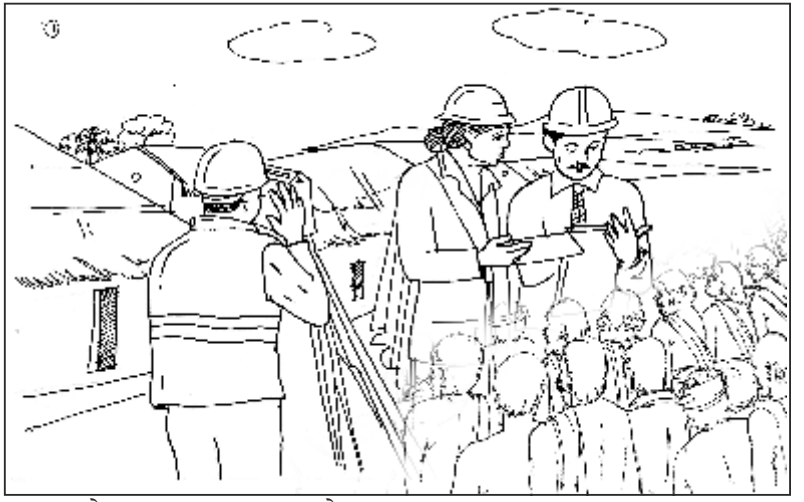

समुदाय के साथ सुचना साझा करते हुए

एफपीआईसी एक प्रक्रिया क्यों है?

एफपीआईसी को एक प्रक्रिया माना जाता है क्योंकि समस्त समुदाय को सामूहिक निर्णय पर पहुंचने से पहले लम्बी चलने वाली प्रक्रिया और विभिन्न प्रकार के चरणों की श्रंखला से गुजरने की आवश्यकता होती हैं। इसके अलावा परियोजना के पूरे जीवनकाल में,परियोजना पहचान के प्रारंभिक चरण से लेकर समापन चरण तक इसका कार्यान्वयन जारी रहता है ।

एफपीआईसी के प्रमुख तत्वों का परिभाषा

स्वतन्त्र:- बिना किसी दबाव, धमकी या धोखेबाजी के यह स्वेच्छा से सहमति देता हैं। यह समुदाय द्वारा स्व-निर्देशित किये जाने वाली प्रक्रिया को भी संदर्भित करता है। यह किसी भी अनुचित अपेक्षाओं या समयबद्ध सीमाएं जो बाहरी रूप से लगाई गई हैं,के अलावा सहमति की बात करता है।

पूर्व:- इसका अर्थ है कि किन्ही भी परियोजनाओ या गतिविधियों के प्रारंभ से पहले किसी विकास या निवेश योजना के प्रारंभिक चरण में पर्याप्त रूप से समुदाय की सहमति होना है, ना की केवल परियोजना के क्रियान्वयन के समय समुदाय से अनुमोदन प्राप्त करना।

सूचित:- जानकारी, मुख्य रूप से किस प्रकार का व्यवसाय और परियोजना के लिए सहमति मांगने से पहले प्रदान की जानी चाहिए, और साथ ही सहमति प्रक्रिया सरल तरीके से लोगो को बताई जानी चाहिए।

सहमति:- अधिकार-धारकों द्वारा किए गए सामूहिक फैसले और प्रभावित आदिवासियों या समुदायों की प्रथागत निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के माध्यम को दर्शाता हैं। प्रत्येक समुदाय की अनूठी औपचारिक या अनौपचारिक राजनीतिक-प्रशासनिक गतिशीलता के

परियोजना के लिए समुदाय से सहमती लेते हुए

आदिवासी समुदाय ही जंगल संसाधान के मालिक हैं

अनुसार सहमति मांगी जानी चाहिए और दी जानी चाहिए या रोक दी जानी चाहिए। सभी युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए महिलाओं, बुजुर्ग और विकलांग लोगों को जितना संभव हो, आम लोगों और स्थानीय समुदायों को अपने स्वयं के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम द्वारा भाग लेने में सक्षम होना चाहिए।

एफपीआईसी प्रक्रिया के लाभ?

स्थानीय आबादी और स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार विकास की गतिविधियों को पूरा किया जा सकता है, जो कि किसी भी परियोजना के हस्तक्षेप में शामिल सभी हितधारकों के लिए एक अतुलनीय लाभ का प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तावित परियोजना की योजना में स्वदेशी लोगों की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी के साथ एक सम्मानजनक और संपूर्ण एफपीआईसी प्रक्रिया पूरा करना स्थानीय समुदाय के हितो की रक्षा करता है और उनको उनके संसाधनों पर पूरे नियंत्रण को सुनिश्चित करता है।

मानव अधिकार-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से एफपीआईसी कि एकीकरण

एफपीआईसी मानव अधिकारों के आधार पर गहराई से जुड़ा हुआ है। क्योंकि यह अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सार्थक और सकारात्मक परिणामों को प्राप्त करने में विशेष रूप से आदिवासियों की प्रभावी भागीदारी को प्राथमिकता देता है । विशेषकर उन मापदंडों का उपयोग करके, जो उनके संबंधित संस्कृतियों, उनकी पहचान और उनके संसाधनो से उत्पन्न और जुड़े होते हैं।

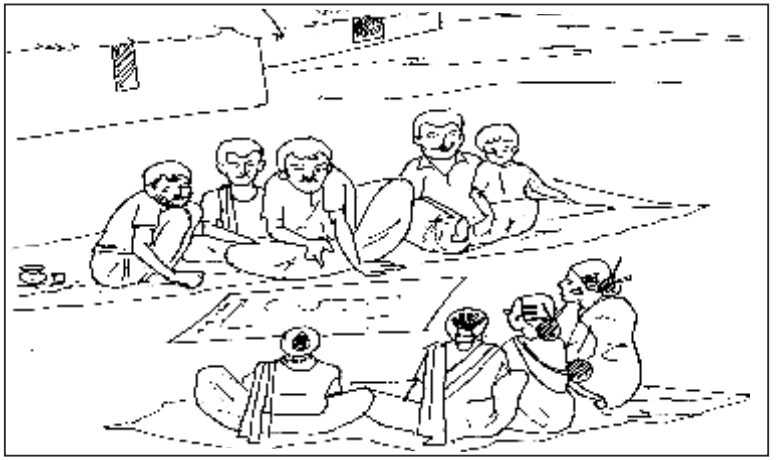

समुदाय अपनी अधिकार की अभिकथन करते हुए प्राकृतिक संसाधन की प्रतिचित्रण करते हुए

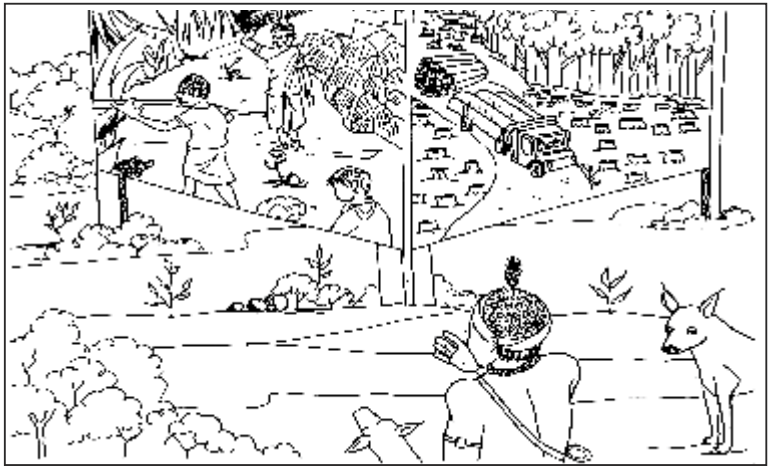

हम इस चित्र को एफ पि आई सी प्रक्रिया के उपयोग से बदल सकते हैं

एफपीआईसी की विशेषताएं क्या हैं?

क) अपने देश के क्षेत्र और संसाधनों का नियंत्रण, और उनकी सांस्कृतिक अखंडता के प्रति सम्मान को कायम रखना

एफपीआईसी की प्रक्रिया आदिवासियों को अपने संसाधनों, जमीन, क्षेत्रों के नियंत्रण और प्रबंधन और उनकी सांस्कृतिक अखंडता और आत्मनिर्णय के प्रति सम्मान देती है, खासकर जब अलग-अलग लोगों अपने विकास के प्रति इस प्रकिया को अपनाते है । सरकार जैसी कोई बाहरी इकाई, निगमों, संस्थानों, संगठनों और परियोजना समर्थकों को किसी भी प्रोजेक्ट या क्रियाकलापों को लागू करने से पहले अधिकार धारकों (स्थानीय लोगो) से सहमति, समझौता और प्राधिकरण प्राप्त करने की जरूरत है।

ख) आत्मनिर्णय के अधिकार का उपयोग

अपनी भूमि, क्षेत्र और संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए आदिवासियों की अपनी परंपरागत शासन पद्धति है। इसमें उनकी सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था, प्रथागत कानून और प्रथाएं, संसाधन प्रबंधन, और पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक प्रथाएं शामिल हैं, जो उन्हें दुसरे समाजो से अलग बनाती हैं। एफपीआईसी अपने स्वयं के सामूहिक फैसले लेने के लिए तंत्र या क्रिया-विधि को उन मामलों पर जो उन्हें प्रभावित करते हैं, आत्मनिर्णय और सामूहिक निर्णय के प्रयोग के लिए प्रेरित करता है। आत्मनिर्णय का यह अधिकार उन्हें किर्यान्वयन करने के लिए एक निवारक उपाय बन जाता है जो कि उनके स्व-शासन और उनकी भूमि, क्षेत्र और संसाधनों के प्रबंधन में अपने स्वयं के विकास को प्रभावी और त्वरित कर सकता है।

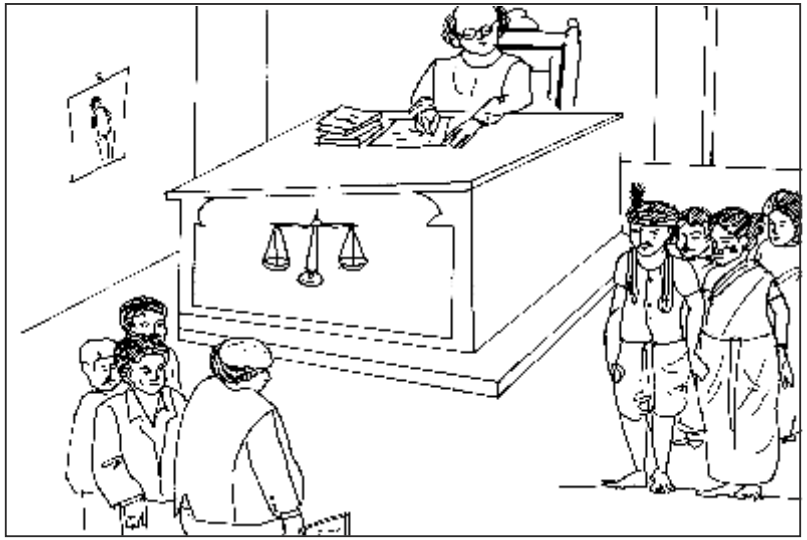

एफ पि आई सी प्रक्रिया हमें न्यायतन्त्र और अन्य प्रशासनिक तन्त्र के साथ सामिल होने का अधिकार देता है

ग) एक सुरक्षा उपाय के रूप में एफपीआईसी

एफपीआईसी आदिवासियों के दृष्टिकोण से किसी भी परियोजना के संभावित सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को सुनिश्चित करने में एक सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। यह प्रक्रिया आदिवासियों को परियोजनाओं के संभावित प्रतिकूल प्रभावों पर अपनी चिंताओं को आवाज देने की अनुमति देती है, जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में, वे परियोजना (प्रोजेक्ट) प्रस्तावक (प्रोपोनेंट्स) से स्पष्ट जानकारी स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं जिसमें परियोजना के संबंधित व्यवहार्यता अध्ययन के परिणामों के साथ ही तुलनात्मक अध्ययन शामिल होंगे।

घ) सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया के रूप में एफपीआईसी

एफपीआईसी केवल एक प्रक्रियात्मक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आदिवासियों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस तंत्र है, विशेष रूप से उनके भूमि, क्षेत्रों और संसाधनों के उपयोग, प्रबंधन और विकास के संबंध में। यह सामूहिक फैसलों में शामिल होने वाले सामुदायिक/ आबादी के सामूहिक व्यवस्था है। स्थानीय लोग सामूहिक रूप में मौजूद रहकर इस प्रकार उनके सामूहिक अस्तित्व और विकास के लिए एक-दूसरे पर भरोसा करते हैं।

ङ) एक दोहराव प्रक्रिया के रूप में एफपीआईसी

एफपीआईसी एक दोहरावकारी प्रक्रिया है जो आदिवासि सम्मान सुनिश्चित करने और सार्थक सहभागिता के फैसले को सुनिश्चित करने के लिए पूरे विश्वास के साथ की जाएगी जो कि आदिवासियों की भलाई को एक अलग समूह/लोगों के रूप में सकारात्मक प्रभावित कर सके। वर्णनात्मक प्रक्रिया के रूप में, इसके लिए विचार-विमर्श की श्रृंखला, संवाद, अनुभव आदान-प्रदान और आबादी के लोगों के बीच बातचीत का संचालन करने की आवश्यकता होती है, और उन लोगों को जिन्हें आदिवासियों की सहमति और समझौते की आवश्यकता होती है। जिससे पूरे परियोजना चक्र के माध्यम से आदिवासियों की निरंतर उन्नति सुनिश्चित हो सके – ना कि केवल परियोजना कार्यान्वयन से पहले सहमती लेकर ये मान लिया जाये की स्थानिय लोगो के हित साध दिए गए है।

च) सरकारों और अन्य बाहरी संस्थाओं के साथ व्यवसाय की प्रक्रिया के रूप में एफपीआईसी

आदिवासियों के अधिकारों का सम्मान करने की रूपरेखा के साथ, एफपीआईसी प्रक्रिया आदिवासियों के संबंधों को बाहरी संस्थाओं के साथ-साथ सरकार सहित, परियोजनाओं, योजनाओं, गतिविधियों, कानूनों और नीतियों के संबंध को निर्दिष्ट करता है, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आदिवासियों को प्रभावित करती है। इस संदर्भ में, किसी भी योजना और गतिविधि जो आदिवासियों को प्रभावित करती है उन्हें पारस्परिक विश्वास और जानकारी (पूर्ण और सटीक) साझा की जाती है और परामर्श, संवाद और बातचीत की एक प्रक्रिया के माध्यम से उनकी सहमति मांगती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनी प्रणाली में एफपीआईसी का सिद्धांत

स्वतंत्र, पूर्व, और सूचित सहमति, या एफपीआईसी, अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक उभरता सिद्धांत है जो आदिवासियों को अपनी परंपरागत भूमि और जीवन के तरीके को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के बारे में स्वतंत्र और सूचित निर्णय लेने का अधिकार देता है।

स्थानीय और जनजातीय जनसंख्या सम्मेलन, १९५७ (नंबर १०७) पर आईएलओ सम्मलेन (कन्वेंशन)

यह सम्मेलन आदिवासियों के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। सम्मेलन में कहा गया है कि संबंधित आबादी वाले क्षेत्रों से उनकी स्वतंत्र सहमति के बिना संबंधित आबादी को हटाया नहीं जाएगा

स्थानिय और आदिवासी पीपुल्स कन्वेंशन, १९८९ पर आईएलओ कन्वेंशन (नंबर -१६९)

आईएलओ कन्वेंशन १६९ यह मांग करता हे की आदिवासियों को मनचाहे रूप से अपनी जमीन और क्षेत्रों से हटाया नहीं जाना चाहिए। इन लोगों का पुनर्वास एक आवश्यक उपाय के रूप में (यदि आवश्यक हो) माना जाता है, जो कि केवल उनके निशुल्क, पूर्व और ज्ञात सहमति के साथ ही होगा। जहां उनकी सहमति नहीं प्राप्त की जा सकती है, ऐसे स्थानान्तरण/ विस्थापन केवल राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों द्वारा स्थापित उपयुक्त प्रक्रियाओं के बाद ही होंगे, जिसमें सार्वजनिक पूछताछ शामिल है, जहां उपयुक्त है, वहा प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं में संबंधित लोगों के प्रभावी प्रतिनिधित्व के लिए अवसर प्रदान किये जाकर ही फैसले होंगे।

संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र, आदिम जनजाति लोगों के अधिकार (राइट्स) (यूएनडीआरआईपी), २००७

यूएनडीआरआईपी आदिवासियों राय या उनके साथ व्यवहार के लिए एक महत्वपूर्ण मानक है और आदिवासियों के खिलाफ मानव अधिकारों के उल्लंघन को दूर करने और भेदभाव और सीमांतता से निपटने में सहायता करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। घोषणापत्र ने यह भी सुनिश्चित किया कि आदिवासियों को जबरन अपनी भूमि या क्षेत्रों से हटाया नहीं जाएगा। संबंधित आदिवासियों की स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के बिना कोई

स्थानांतरित नहीं किया जाएगा और उचित क्षतिपूर्ति पर एक समझौते पर पहुंचने के बाद और जहां तक संभव हो, वापसी के विकल्प के साथ ही आगे बढा जा सकता है । यह भी सुनिश्चित किया गया है की राज्य उन विधायी और प्रशासनिक उपायों को अपनाने और कार्यान्वित करने से पहले एफपीआईसी प्रक्रिया बहल करेगा इसके लिए राज्य अपने स्वयं के प्रतिनिधि संस्थानों के माध्यम से संबंधित आदिवासियों के साथ अच्छे विश्वास के साथ सहयोग और बातचीत करेगा, जिससे स्थानीय लोगो में एक विश्वास पैदा हो सके और वो अपने हितो को समझते हुए स्वतंत्र निर्णय ले सके

जैविक विविधता पर सम्मेलन (सीबीडी), (१९९२)

सीबीडी जैविक संसाधनों पर परंपरागत जीवनशैली बनाने में आदिवासि समुदायों के करीबी और पारंपरिक निर्भरता को पहचानता है, और जैविक विविधता के संरक्षण और इसके घटकों के टिकाऊ उपयोग से संबंधित पारंपरिक ज्ञान, नवाचार और प्रथाओं के उपयोग से समान रूप से लाभ उठाने की ज़रूरतों को साझा करने की इच्छाशक्ति है। जैविक विविधता के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को भी यह सम्मलेन मान्य देता है और जैविक विविधता संरक्षण के लिए नीति बनाने और कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण भागीदारी की आवश्यकता के बारे में पुष्टि करता है।

एफपीआईसी भारत के संविधान में समाहित

राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन पांचवें अनुसूची और छठी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार आदिवासी क्षेत्रों पर लागू होता है। अनुसूची क्षेत्र और इसके तहत बनाए गए नियमों का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्र में शांति और अच्छे प्रशासन के संरक्षण के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदिवासी स्वायत्तता, उनकी संस्कृतियों और आर्थिक सशक्तीकरण को संरक्षित करना है।

पीईएसए (पेसा) एक्ट, १९९६

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार) अधिनियम, १९९६ में, प्रथागत कानून, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और सामुदायिक संसाधनों की पारंपरिक प्रबंधन प्रथाओं को सुनिश्चित किया जाता है। ग्राम सभा या उचित स्तर पर पंचायत की सिफारिशों से अनुसूचित क्षेत्रों में खनिजों के लिए खनन पट्टा, व्यापार आदि के लिए स्थानीय स्व शासन द्वारा लाइसेंस / सहमती प्रक्रिया अनिवार्य कर दिया गया है।

एफआरए (वन अधिकार कानून), २००६

इस अधिनियम का उद्देश्य पिछली नीतियों और कानूनों के कारण जनजातियों के अपने खुद के आवास, आजीविका, और कृषि भूमि से अलगाव को दूर करना है। इसमें कहा गया है कि जब तक अधिकारों का निर्धारण करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी आदिवासीयों को वर्तमान अवस्थीत जमीन से नहीं निकाला जा सकता है। ग्राम सभा निर्णय लेने वाली संस्था है और प्रत्येक प्रक्रिया में समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी है।

भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास अधिनियम, २०१३ में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार

यह अधिनियम स्थानीय स्वशासन और ग्राम सभाओं, भूमि अधिग्रहण के लिए एक मानवीय, सहभागितापूर्ण, सूचित और पारदर्शी प्रक्रिया के संस्थानों के परामर्श से सुनिश्चित करने के लिए है। उचित जानकारी देने के बाद प्रभावित क्षेत्र में सार्वजनिक सुनवाई सुनिश्चित की गई है, जिससे स्थानीय समुदायों को राज्य या राज्य समर्थित किसी भी संस्था, कंपनी, व्यक्ति/ उधोगिक इकाई द्वारा बल पूर्वक विस्थापन नहीं किया जा सके।

पर्यावरण कानून

पर्यावरण कानून इस बात को सुनिश्चित / प्रतिबंधित करता है जिन स्थानों पर उद्योग स्थापित है वहा पर स्थानीय प्रयावरण और लोगो के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़े ऐसे स्थानों पर स्थापित उधोगो पर प्रतिबंध लगाता है। साथ ही स्पस्ट करता है की विभिन्न क्षेत्रों में कानूनन सभी प्रक्रीयाए जैसे ईआईए अधिसूचना, सार्वजनिक भागीदारी और न्याय की पहुंच प्रक्रियाओं सुनिश्चित हो और स्थानीय लोगों को स्वच्छ और शुद्ध पर्यावरण मिले परियोजना या गतिविधि के क्रियान्वयन से पहले पर्यावरणीय प्रभाव को आकने के लिए प्रभावित लोगों के लिए सार्वजनिक सुनवाई प्रक्रिया का होना जरुरी है।

जैविक विविधता अधिनियम, २००२

यह कानून जैविक विविधता के संरक्षण, इसके घटकों का टिकाऊ उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग का पुरजोर समर्थन करता है साथ ही उचित परामर्श प्रक्रिया के साथ स्थानीय ज्ञान, परम्परा के विस्तार को भी स्वीकार करता है जैविक विविधता हेतु उचित और न्यायसंगत साझाकरण प्रक्रियाए आयोजित करना भी अधिनियम का प्रमुख प्रावधान है।

एफपीआईसी कार्यान्वयन का पता लगाने के लिए आवश्यक संसाधन

किसी संगठन के भीतर सुव्यवस्थित एफपीआईसी व्यवस्था के तहत मानव संसाधन, निर्माण क्षमता और एक स्थापित शिकायत और शिकायत निवारक तंत्र की आवश्यकता होती है।

मानव संसाधन क्षमता स्थापित करें

शिकायत तंत्र

क्षमता निर्माण और मार्गदर्शन

स्वतंत्र, पूर्व सूचित सहमति (एफपीआईसी) प्रक्रीया लागू करना

एफपीआईसी प्रक्रिया एक विशिष्ट स्थानीय संदर्भ मैं परियोजना का विकाश के लिए अलग अलग हो सकती है | यह प्रक्रिया एक परियोजना की गुणात्मक पहलु और इस के लिए दिया गया समय को निरिक्षण करता है | एक परियोजना के विभिन्न चरणों मैं निचे दिए गए प्रक्रिया के अनुसार एफपीआईसी प्रक्रिया को लागू कराने की आवश्यकता है :

परियोजना के पहचान चरण में

- आदिवासियों की पहचान करें और उनके संबंधित प्रतिनिधियों की भी पहचान करे
- भागीदारी मैपिंग के माध्यम से भौगोलिक और जनसांख्यिकीय सूचना का दस्तावेज बनाये

परियोजना के गठन चरण में

- प्रारंभिक वित्तीय और मानव संसाधन, और एफपीआईसी के संचालन के लिए आवश्यक समय निर्धारित करें
- एक सहभागी संचार योजना तैयार करें और बारबार परामर्श करें कि कौन सी परियोजना जानकारी पारदर्शी तरीके से प्रस्तुत की जाएगी
- निगरानी और समझौता का मूल्यांकन

परियोजना के कार्यान्वयन चरण में

- शिकायत तंत्र
- संघर्ष समाधान उपाय , और समस्या समाधान के लिए रणनिति निर्धारित करें
- निगरानी और मूल्यांकन प्रकिया, प्रतिक्रिया का एकत्रीकरण करें

परियोजना के अंतिम चरणों में

- सीख दस्तावेज़ वनाएं
- परियोजना की उपलब्धियों / परिणामों के बारे में जानकारी का खुलासा करें

एक सशक्त सुमुदाय गठन के दिशा मैं एफपिआईसी प्रक्रिया

सहायक संस्थाएं, हितधारक, राज्य और औद्योगिक संस्थाएं

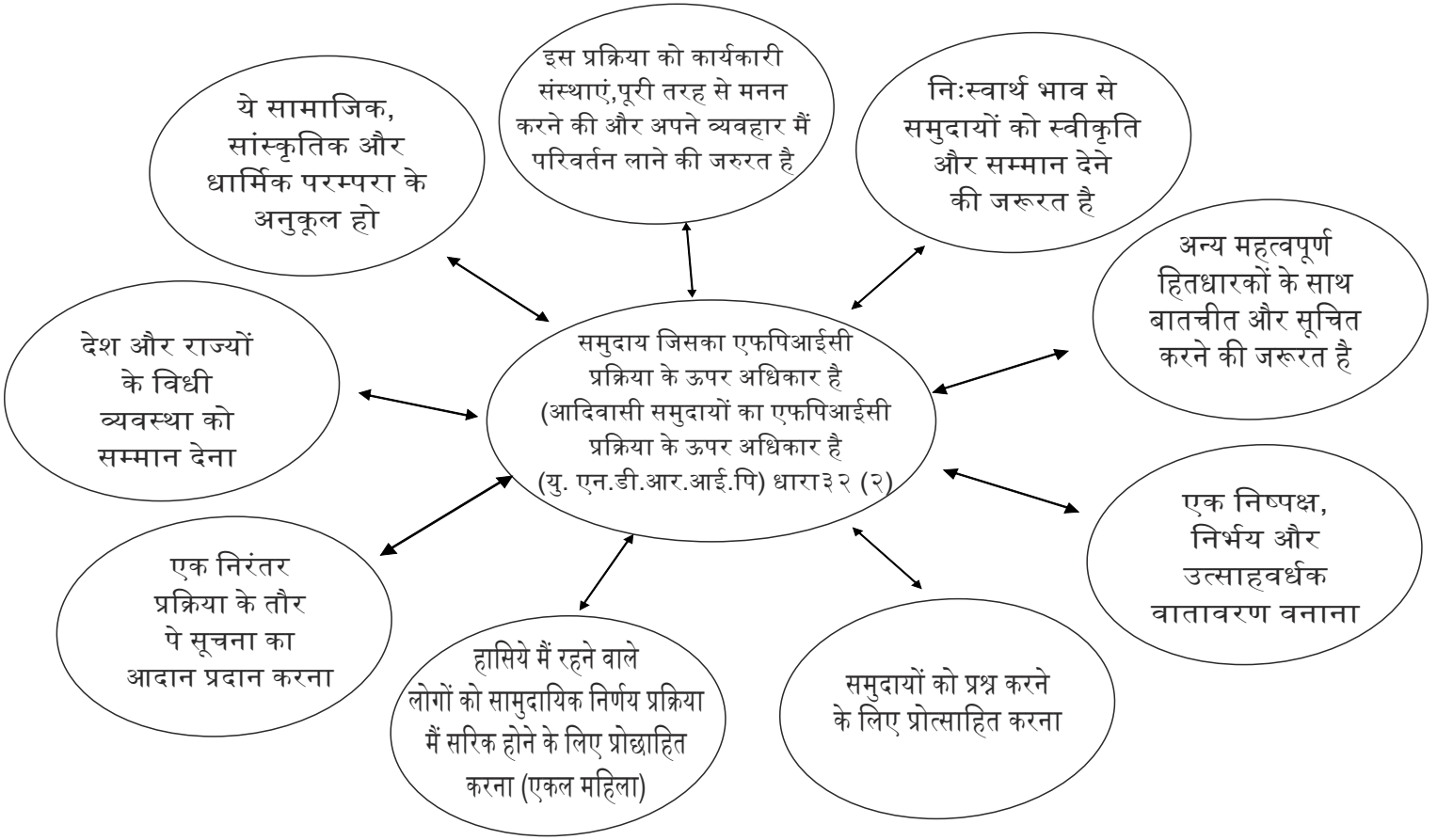

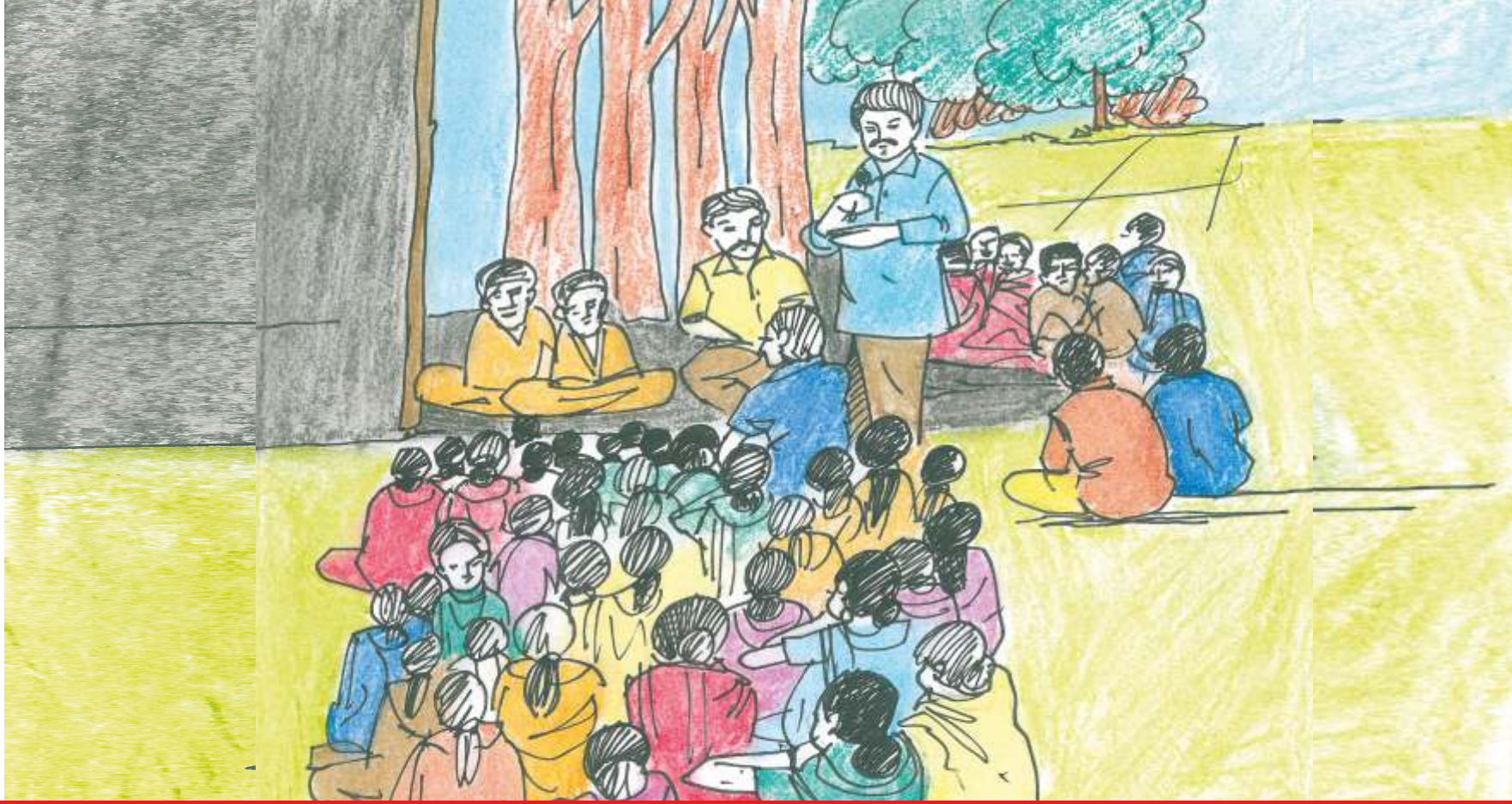

आदिवासी जनजाती अधिकार मंच
आ ज म

actionaid